भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

KRIPA SHANKAR TRIPATHI NOTARY GORAKHPUR

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 236565

(प्रारुप - "अ")

**डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र**

हम **सुशील सिंह (अध्यक्ष)** एवं **दीपचन्द सिंह (सचिव/प्रबन्धक)** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव, **रम्भा शिक्षा सेवा संस्थान, रम्भा विला,13-J हरिकृष्ण नगर, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1- यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा **ए0वी0 इन्स्टीटच्यूट आफ फार्मेसी , प्लॉट नं0-85 , ग्राम बढ्या खुर्द, पोस्ट सुकरौली, कुशीनगर ( उ0प्र0)** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना **सत्र 2023-24** से किया जाना प्रस्तावित है।

2- यह कि हमारी सोसाइटी के नाम **प्लॉट नं0-85 , ग्राम बढया खुर्द, पोस्ट सुकरौली, कुशीनगर ( उ0प्र0)** में गाटा संख्या-85 में, **2 एकड़ ( 0.0809** हेक्टेयर) (कुल रकबा **0.809** हेक्टेयर) भूमि है ।

3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **-85**, रकबा क्रमशः- **2 एकड (0.809** हेक्टेयर) (कुल रकबा **0.809** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक **26/06/2022** द्वारा पौरित किया गया है।

5- यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6- यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

KRIPA SHANKAR TRIPATHI
NOTARY
GORAKHPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 236566

7- यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8- यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9- यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10- यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11- यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12- यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करुँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13- मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

KRIPA SHANKAR TRIPATHI
NOTARY
GORAKHPUR

GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) NOTARY
KRIPA SHANKAR TRIPATHI
COMMISSION.U.P. (GKP)
REGD NO-25/4000

ह0 सचिव

सुशील

ह0 अध्यक्ष